# [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

## भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

### अधिसूचना सं. 30/2023-केन्द्रीय कर

# नई दिल्ली, तारीख 31 जुलाई, 2023

का.अ..... (अ) — केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, वह वर्णन जिसे इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है और यथास्थिति, उक्त अनुसूची स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आती हो, माल के विनिर्माण में लगे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

#### 1. पैकिंग मशीनों का विवरण

(1) इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित मालों के विनिर्माण में लगे सभी विद्यमान रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से इस अधिनिसूचना के जारी किए जाने के 20 दिन के भीतर प्ररुप एस.आर.एम.। में पाउच या कंटेनर को भरने और पैक करने के लिए उपयोग की जा रही पैक करने वाली मशीनों के ब्यौरे को तैयार करेगा,-

#### प्ररुप एस.आर.एम.-।

क्र.सं.	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	काराबर के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरियों की संख्या	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वार प्रति घं बिजली क खपत	टे दस्तावेज़	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

				<<चार्टेड	
				<<चारेड इंजन से	
				क्षमता	
				प्रमाण	
				पत्र >>	

- (2) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित माल का निर्माण करने का आशय रखता है और जिसे इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् रिजस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, ऐसी रिजस्ट्रेशन के मंजूरी के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररुप एस.आर.एम.-। में पाउच और कंटेनर को भरने और पैकिंग के लिए उपयोग की जा रही पैकिंग मशीनों के ब्यौरे को पूरा करेगा।
- (3) कारबार के रिजस्ट्रीकृत स्थान में स्थापित की जा रही किसी भी अतिरिक्त भरने और पैकिंग मशीन के ब्यौरे **प्ररुप-आईआईए-।** में ऐसे अवस्थापन के 24 घंटे के भीतर उक्त रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) **प्ररुप एसआरएम-।** या **प्ररुप एसआरएम-॥क** में ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने पर, प्रत्येक मशीन के लिए एक विशिष्ट आईडी तैयार की जाएगी, जिसके ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है ।
- (5) यदि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों को उत्पादन क्षमता प्रस्तुत या घोषित किया है, उक्त घोषणा या प्रस्तुत करने के पंद्रह दिनों के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररूप एसआरएम-।क में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने अपनी विनिर्माण इकाई या उसकी मशीनों की उत्पाद क्षमता को किसी अन्य सरकारी विभाग या किसी अन्य अभिकरण या संगठन को इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व प्रस्तुत या घोषित किया है, इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सामान्य पोर्टल पर प्ररुप एसआरएम-।क में उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

### प्ररुप एसआरएम-।क

क्र.सं.	सरकारी विभाग/किसी एजेंसी या संगठन का नाम	अन्य	घोषणा / प्रस्तुति का प्रकार	घोषणा/प्रस्तुति का प्रकार
(1)	(2)		(3)	(4)
			<<घोषणा की प्रति को पोर्टल पर अपलोड किया जाना>>	

### प्ररुप एसआरएम-॥क

[अतिरिक्त मशीन (नों) के अवस्थापन के ब्यौरे]

क्र • सं •	मशीन का मेक और मॉडल नंबर (निर्माता के नाम सहित)	मशीन की खरीद की तारीख	मशीन की स्थापना की तारीख	काराबर के स्थान का पता जहां स्थापित किया गया है	पटरि यों की संख्या	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता	मशीन द्वारा प्रति घंटे बिजली की खपत	सहायक दस्तावेज़	मशीन की यूनिक आईडी (ऑटो पॉप्युलेट होने के लिए))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									<<चार्टेड इंजीनिय र से क्षमता प्रमानप त्र>>	

(6) कारबार के रिजस्ट्रीकृत स्थान से हटाए गए किसी विद्यमान भरने और पैक करने वाली मशीन के ब्यौरे को **प्ररुप एस.आर.एम.-॥ख** में ऐसे हटाए जाने के 24 घंटे के भीतर रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

### प्ररुप एस.आर.एम.-॥ख [विद्यमान मशीन (नों) के हटाए जाने के ब्यौरे]

क्र. सं.	मशीन की यूनिक आईडी	मशीन का निर्माण और मॉडल नंबर << ऑटो- पॉप्युलेट >>	मशीन की खरीद की तारीख << ऑटो- पॉप्युलेट >	कारबार के स्थान का पता जहां से मशीन को हटाया जाता है. << ऑटो- पॉप्युलेट >>	पटरि यों की संख्या << ऑटो- पॉप्युले ट >>	प्रत्येक ट्रैक की पैकिंग क्षमता << ऑटो- पॉप्युलेट >>	मशीन की कुल पैकिंग क्षमता << ऑटो- पॉप्युलेट >>	हटाने की तारीख	मशीन को हटाने/निप टान करने के कारण ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<< तीसरे पक्ष को बेचा गया >> <<कबाड़ >>

- 2. अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण करने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा रखरखाव किए जाने के लिए अतिरिक्त अभिलेख
- (1) अनुसूची में उल्लिखित माल के विनिर्माण में लगा प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में प्ररूप एस.आर.एम.-॥क में यथानिर्दिष्ट प्ररूप में इलेक्ट्रानिक मीटर और जनरेटर सेट मीटर की दैनिक रीडिंग के रिकार्ड के साथ-साथ जिनत किए गए अपिशष्ट के ब्यौरे के साथ-साथ मात्रा और मूल्य के निबंधन में प्रोद्यभूत और उपयोग किए जा रहे इनपुट के दैनिक अभिलेख को रखेगा।
- (2) तथापि, उक्त रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति कारबार के प्रत्येक स्थान में **प्ररुप एस.आर.एम.-ागख** में यथाविनिर्दिष्ट एक प्ररुप में मात्रा और मूल्य के निबंधन में मशीन-वार उत्पादन, उत्पाद-वार और ब्रांड-वार अनापत्ति के ब्यौरे के दैनिक शिफ्ट-वार अभिलेख भी रखेगा ।

# प्ररुप एस.आर.एम.-॥क इनपुट रजिस्टर

दिन 1	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई की मात्रा	प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)	क्यूटी खपत (इकाइयों में)	क्यूटी खपत (इकाइयों में)	उक्त इनपुट (इकाइयों में) के संबंध में उत्पन्न अपशिष्ट
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	एचएसएन 1								
	एचएसएन								
	2								
	एचएसएन <b>3</b>								
	एचएसएन								
दिन2									
दिन3									
महीने का अंतिम									

þ					
777					i I
/4"/					i I
•					i I
					i
					i I
					i I

	बिजली रीडिंग					
	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मीट	र रीडिंग	
			T	.0.0		<b>I</b>
	प्रारंभिक मीटर	अंतिम मीटर	खपत	प्रारंभिक मीटर	अंतिम मीटर	खपत
	रीडिंग	रीडिंग	(किवा.)	रीडिंग	रीडिंग	(किवा.)
दिन 1						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिन						
2						
lE.						
<u>क</u>						
मास का अंतिम दिन						
_ ভ   ⊢						
<del>  </del>						
<u> </u>						

प्ररुप एस.आर.एम.-॥ख उत्पादन रजिस्ट्रर

		ब्रांड	बी.:	1			11Q4 X						ब्रांड <b>2</b>	ब्रांड बीए न
		मर्श	नि एम	न <b>1 (</b> मशीन	की वि	वेशिष्ट	आईडी	का उल्लेख क	<del>(</del> )	ए म 2	ए म ए ल	सभी मशीनों की कुल संख्या		-
दिन 1	शिफ्ट1	पैकक एगएपाउचपी 1की कुलसंख्या	पा उपी १ का इका इसी न	पैक किए गए पाउच पी 1 का कुल मूल्य (वी 1) (रुपये में)	पाउ च की कुल सं ख्या पी. पी. पैक्ड	पाउ च का मूल्य : .पी.एन .	पाउच पीएन पैक (वीए न) का कुल मूल्य (रुप में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम.1 (पी.1+पी.2 +पी.एन.)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच का कुल मूल्य एम.1 (ठी.1+ वी.2+ वी.एन.		-	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी.1 का कुल उत्पादन मूल्य (रुपये)		
	00:00 से 00.00 घंटे शिफ्ट 2 00:00 से													
	00.00 घंटे शिफ्ट3 00:00 से 00.00 घंटे													
	दिन के लिए कुल 1													
दिन 2														
माह का दिन														

माह के						
लिए कुल						

# 3. विशेष मासिक कथन

(1) उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल पर **प्ररुप एस.आर.एम-IV** में प्रत्येक माह के लिए विशेष कथन प्रस्तुत करेगा ।

प्ररुप एस.आर.एम-IV अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माता द्वारा उपयोग किए गए आदानों और अंतिम माल का मासिक विवरण भाग-क

महीने के लिए	इनपुट का एचएसएन	इनपुट का विवरण	इकाई की मात्रा	प्रारंभिक रोकड़ (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (इकाइयों में)	खरीदी गई मात्रा (रुपये में मूल्य)	मात्रा खपत (इकाइयों में)	अंतिम शेष राशि (इकाइयों में)	उत्पन्न अपशिष्ट (इकाइयों में) <b>)</b>
कुल	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	एचएसएन								
	1								
	एचएसएन								
	2								
	एचएसएन								
	3								
	एचएसएन								

	बिजली रीडिंग					
	बिजली रीडिंग			जनरेटर सेट मी	टर रीडिंग	
मास के लिए कुल 1	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)	प्रारंभिक मीटर रीडिंग	अंतिम मीटर रीडिंग	खपत (किवा.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

# माल के उत्पादन का विवरण भाग-ख

	ब्रांड	बी.:	1									ब्रांड <b>2</b>	ब्रांड बीए न
	मर्श	नि एम	<b>1 (</b> मशीन	की वि	वेशिष्ट	आईडी	का उल्लेख क	₹)	ए म • 2	ए म ए ल	सभी मशीनों की कुल संख्या		
	रिकिकिएगएपछचपी 1कि कुलसंख्री	पा उपी .1 का इकाई मा न	पैक किए गए पाउच पी १ का कुल मूल्य १ रुपये में)	पाउ च की कुसं ख्या	पाउ च का मूल्य : .पी. एन	पाउच पीएन पैक (वीए न) का कुल मूल्य (रुप में)	मशीन द्वारा पैक किए गए पाउच की कुल संख्या एम.1 (पी.1+पी.2 +पी.एन.)	मशीन द्वारा पैक किए पाउ कुल मूल्य एम.1 (वी.2+ वी.एन.)		-	सभी मशीनों द्वारा ब्रांड बी . 1 का कुल उत्पादन मूल्य (रुपये)		
माह के लिए कुल													

अनुसूची

क्र.सं.	अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/टैरिफ	माल का विवरण
	मद	
(1)	(2)	(3)
1.	2106 90 20	पान-मसाला
2.	2401	अनिर्मित तंबाकू (लाइम ट्यूब के बिना) - एक ब्रांड नाम के
2	2401	साथ
3.	2401	अनिर्मित तंबाकू (चूने की ट्यूब के साथ) – एक ब्रांड नाम के साथ
4.	2401 30 00	तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम तंबाकू से इंकार, एक ब्रांड नाम
5.	2403 11 10	'हुक्का' या 'गुडाकू' तंबाकू जिसका ब्रांड नाम है
6.	2403 11 10	'हुक्का' या 'चिलम' धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला
		तंबाकू जिसे आमतौर पर 'हुक्का' तंबाकू या 'गुडाकू' के रूप में
		जाना जाता है, जिसका ब्रांड नाम नहीं है
7.	2403 11 90	अन्य पानी पाइप धूम्रपान तंबाकू एक ब्रांड नाम नहीं रखते हैं।
8.	2403 19 10	पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण
9.	2403 19 90	ब्रांड नाम वाले अन्य धूम्रपान तंबाकू
10.	2403 19 90	अन्य धूम्रपान करने वालें तंबाकू का ब्रांड नाम नहीं है
11.	2403 91 00	"होमोजेनाइप्ड" या "पुनर्गठित" तंबाकू, जिसका ब्रांड नाम है
12	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूने की ट्यूब के बिना)
13.	2403 99 10	चबाने वाला तंबाकू (चूना ट्यूब के साथ)
14.	2403 99 10	फ़िल्टर खैनी
15.	2403 99 20	चबाने वाले तंबाकू युक्त तैयारी
16.	2403 99 30	जर्दा सुगंधित तंबाकू
17.	2403 99 40	सुंघनी
18.	2403 99 50	सुंघनी युक्त तैयारी
19.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और एक ब्रांड नाम वाले सार
20.	2403 99 60	तंबाकू के अर्क और सार पर ब्रांड नाम नहीं है
21.	2403 99 70	तंबाकू में कटौती
22.	2403 99 90	पान मसाला जिसमें तंबाकू 'गुटखा' होता है
23.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तेंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, एक ब्रांड नाम के साथ
24.	2403 99 90	पान मसाला के अलावा तंबाकू 'गुटखा' युक्त सभी सामान, जिनका ब्रांड नाम नहीं है

#### स्पटीकरण

- (1) अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" तथा "अध्याय" से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है ।
- (2) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची की धारा तथा अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी हैं, इस अधिसूचना के निर्वचन में जहां तक वे लागू हैं।
- (3) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "ब्रांड नाम" वाक्यांश से ब्रांड नाम या व्यापार नाम चाहे वह रिजस्ट्रीकृत हो अथवा नहीं, जैसािक कहा जाता है एक नाम या मार्क अभिप्रेत है, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या लिखा जाना, जो चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे विशिष्ट माल के संबंध में प्रयोग किया जाता है या ऐसे विशिष्ट माल के मध्य व्यापार के अनुक्रम में संबंध को दिश्ति करता हो तथा कुछ व्यक्ति ऐसे नाम या चिह्न के साथ या उस व्यक्ति की पहचान के किसी चिह्नांकन के बिना प्रयोग किया जाता हो ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20006/20/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार) निदेशक